



पत्रांक-850 / 54 अधिपत्रिह/20

दिनांक-29 / 09 / 2020

—:कार्यालय ज्ञाप:-

प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों हेतु अनुरक्षण कार्य की मानक दरों का निर्धारण पूर्व में वर्ष 2013 में किया गया था। उसके पश्चात दरों का पुनः निर्धारण न होने के कारण भवनों के अनुरक्षण कार्यों हेतु वर्तमान में सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व दरों पर अनुरक्षण कार्य कराना संभव नहीं हो पा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भी अनुरक्षण दरें वर्ष 2019 में संशोधित कर दी गयी है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भवनों में सिविल कार्य की अनुरक्षण दरें (कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर) निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

यह दरें दिनांक- 01.10.2020 से प्रभावी होगी।

आवासीय भवन:-

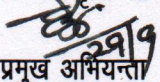
1	राजभवन, मुख्यमंत्री, आवास, उच्च न्यायालय जज आवास एवं समकक्ष भवन	रु0 360.00 प्रति वर्ग मीटर
2	मन्त्री आवास श्रेणी-5 से उच्चतर एवं समकक्ष भवन	रु0 280.00 प्रति वर्ग मीटर
3	श्रेणी 1 से 5 के आवास, विधायक हॉस्टल एवं समकक्ष भवन	रु0 180.00 प्रति वर्ग मीटर

आनावासीय भवन:-

1	विधान सभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य अतिथिगृह, निदेशालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं समकक्ष भवन	रु0 385.00 प्रति वर्ग मीटर
2	सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन, गेस्ट हाउस ट्रांजिट हॉस्टल, कार्यालय भवन एवं समकक्ष भवन	रु0 205.00 प्रति वर्ग मीटर
3	साधारण अनावासीय भवन, गोदाम एवं समकक्ष भवन	रु0 100.00 प्रति वर्ग मीटर
4	हास्पिटल, डिस्पेन्सरी एवं समकक्ष भवन	रु0 515.00 प्रति वर्ग मीटर

नोट—उक्त दरें केवल समान्य अनुरक्षण कार्य हेतु लागू होगी विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु विस्तृत आगणन बनाकर स्वीकृति प्राप्त की जायेंगी।

अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ से पूर्व सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।


प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
29/9/20

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. अपर सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान हेतु।
6. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा।
7. मुख्य अभियन्ता सिंचाई खण्ड यमुना कालोनी देहरादून।
8. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा देहरादून।
10. प्रबन्धक निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून।
11. प्रबन्धक निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम देहरादून।
12. टी0ए0सी0 वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर—।।।/समस्त अधिशासी अभि0 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 देहरादून।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
16. कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

Shi Thakur
upload it
29/9/20